कार्यालय मुख्य अग्निशमन अधिकारी, लखनऊ।

संख्याः न-31/एफएस-2016 दिनांकः जून 11 ,2016

सेवा में,

मैजेनिंग डायरेक्टर,
मेसर्स जी0एस0आर0 बिल्डर्स एण्ड डेवलपर्स प्रा0लि0
273, पंचम तल न्यू जनपद काम्पलेक्स
अशोक मार्ग हजरतगंज
लखनऊ।

विषयः- मेसर्स जी0एस0आर0 बिल्डर्स प्रा0लि0 द्वारा कल्प सिटी परियोजना बिजनौर लखनऊ में प्रस्तावित ग्रुप हाउसिंग भवन को प्रोविजनल अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण निर्गत किये जाने के संबंध में।

कृपया अपने पत्र दिनांकः 08.06.2016 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जो उपरोक्त विषयक है। उक्त विषयक प्रस्तुत भवन मानचित्र का एन0बी0सी0-2005 एवं भवन निर्माण एवं विकास उपविधि-2008 के अनुसार अग्नि सुरक्षा व्यवस्था की दृष्टिकोण से अग्निशमन अधिकारी, सरोजनीननगर लखनऊ द्वारा निरीक्षण/ परीक्षण कराया गया जिनकी आख्या के अनुसार निम्न तथ्य प्रकाश में आयेः-

भवन की संरचना :-

1- कुल भूखण्ड एरिया-	6012.84 वर्ग मीटर
2- भूतल का कवर्ड एरिया-	1509.84 वर्ग मीटर
3- प्रथम तल से 10वें तल तक प्रत्येक तल का कवर्ड एरिया अलग-अलग	1499.50 वर्ग मीटर
4- भवन के प्रथम बेसमेंट का कवर्ड एरिया-	2677.87 वर्ग मीटर
5- भवन के द्वितीय बेसमेंट का कवर्ड एरिया-	2677.87 वर्ग मीटर
6- भवन की अधिकतम् उचॉई	32.775 मीटर है ।

भवन का अधिभोग एंव हैजार्ड श्रेणी -प्रश्नगत भवन का अधिभोग एन0 बी0 सी0 में आवासीय श्रेणी के अन्तर्गत वर्गीकृत किया गया है ।

ढाँचागत व्यावस्था :-

1- पहुँच मार्ग :-प्रश्नगत भूखण्ड तक पहुँच मार्ग की चौडाई 15 मीटर मानचित्र में अंकित है ।

2- प्रवेश/निकास द्वार की चौडाई :-भवन परिसर में प्रवेश व निकास हेतु 02 गेट प्रस्तावित है। जिसकी चौडाई 06-06 मीटर मानचित्र में अंकित है ।

3- सेटबैक :- प्रस्तावित भवन का न्यूनतम् सेटबैक निम्नलिखित :-

- अग्रभाग - 15.00 मीटर ।
- पृष्ठभाग - 11.00 मीटर ।
- पार्श्व भाग प्रथम - 11.00 मीटर ।
- पार्श्व भाग द्वितीय - 11.00 मीटर ।

उपरोक्तानुसार भवन के सेटबैक भवन विनियमावली के अनुसार है। सेटबैक सदैव अवरोध मुक्त रखे जायेगें सेटबैक में किसी प्रकार का स्थाई /अस्थाई निर्माण कार्य मान्य नही होगा ।

4- निकास मार्ग :-प्रस्तावित भवन में 04 स्टेयरकेस 1.50-1.50 मीटर व 02 स्टेयरकेस 1.35-1.35 मीटर चौडाई का मानचित्र में प्राविधान किया गया है,जिनकी फ्लोर के समस्त स्थानो से ट्रेवलिंग डिसटेंस अधिकतम् अनुमन्य सीमा के अन्तर्गत है ।

5- रिफ्यूज एरिया का का विवरण - भवन में बालकनी प्राविधानित है ।

अग्नि सुरक्षा व्यवस्था :- एन0बी0सी0-2005 के अनुसार निम्नलिखित अग्निशमन व्यवस्थाएं पूर्ण किये जाने अनिवार्य है :-

1- भूमिगत टैंक :- प्रस्तावित भवन परिसर में 100 के.एल. क्षमता के भूमिगत टैंक मानचित्र में प्रस्तावित है ।

2- पम्पः- प्रस्तावित भवन परिसर में भूमिगत टैंक के पास 1620 एल0पी0एम0 क्षमता का विद्युत चालित पम्प,डीजल चालित पम्प 1620 एल0 पी0 एम0 क्षमता, जॉकी पम्प 180 एल0पी0एम0 क्षमता का प्राविधान किया जाना आवश्यक होगा ।

3- होजरीलः-प्रश्नगत भवन में होजरील ,लैडिंग वाल्व,आई0एस0-3844 मानको के अनुसार प्राविधान किया जाना आवश्यक होगा।

4- डाउनकमर :-प्रश्नगत भवन में डाउनकमर सिस्टम एन0बी0सी0 2005 के मानको के अनुरुप प्राविधान किया जाना आवश्यक होगा ।

5- यार्ड हाइड्रेंन्टः-प्रश्नगत सम्पूर्ण भवन परिसर में यार्ड हाइड्रेट होज कैबिनेट एवं उसमें डिलेबरी होज तथा ब्रांच पाइप एव फायर सर्विस इनलेट का प्राविधान आई0 एस0 13039:1991 के अनुसार किया जाना आवश्यक होगा ।

Original in folder of maps

6- **हस्त चालित इलैक्ट्रिक फायर एलार्म सिस्टम** :-मैनुअल आपरेटेड इलेक्ट्रिक फायर एलार्म सिस्टम का प्रविधान एन0बी0सी0 मानको के अनुसार प्राविधानित किया जाना आवश्यक होगा ।

7- **स्वाचालित स्प्रिंकलर सिस्टमः-** प्रस्तावित भवन के बेसमेंट में आटोमेटिक स्प्रिंकलर सिस्टम एन0बी0सी0 मानको के अनुसार लगाया जाना आवश्यक होगा ,स्प्रिंकलर सिस्टम में पानी की फीडिंग टेरस व अन्डर ग्राउण्ड टैंक दोनो से किया जाना आवश्यक होगा ।

8- **टैरिस टैंक** :-प्रश्नगत भवन के टैरिस पर टैरिस टैंक 25000 लीटर क्षमता का स्थापित किया जाना आवश्यक होगा ।

9- **टेरिस पम्प** :-प्रश्नगत भवन में टैरिस पम्प 900 एल0पी0एम0 क्षमता का मानचित्र में प्राविधान किया जाना आवश्यक होगा ।

10- **प्राथमिक अग्नि-ग्मन उपकरण (फायर एक्सटिंग्यूसर)** :-प्रश्नगत भवन में फायर एक्सटिंग्यूसर आई0एस0 2190-2010 के अनुसार प्राविधानित किया जाना आवश्यक होगा ।

11- **स्मोक एक्सट्रेक्सन सिस्टम** :-

ए0-फायर चेक डोर ,स्मोक चेक डोर की लोकेसन व रेटिगं 2 एच रखा जाना आवश्यक होगा ।

बी0- प्रश्नगत भवन के बेसमेंट में स्मोक एक्सट्रेक्शन सिस्टम का प्राविधान किया जाना आवश्यक होगा ।

12- **एक्जिट साइनेज** :-सम्पूर्ण भवन में एक्जिट साइनेज प्राविधानित किये जाने होगें ।

13- **पी0ए0 सिस्टम** :-पी0ए0 सिस्टम की व्यवस्था भवन में प्राविधानित किया जाना आवश्यक होगा

14- प्रश्नगत भवन में **इमरजेंसी/एस्केप लाईटिंग** एन0बी0सी0-2005 ,पार्ट-04 में उल्लिखित मानको के अनुसार कराया जाना आवश्यक होगा ।

15- भवन निर्माण के पश्चात व उपयोग के पूर्व भवन में अधिष्ठापित अग्निशमन प्रणाली के कुशल संचालन व सदैव कार्यशील दशा में रखने हेतु एन0बी0सी0-2005 , पार्ट-04 के प्रस्तर-सी-05,सी-07,सी-08 व सी-09 में उल्लिखित मानको का पालन अनिवार्य होगा ।

16- भवन में एन0बी0सी0 -2005 ,पार्ट-04 के प्रस्तर सी-1.15 के अनुसार एक वैकल्पिक उर्जा श्रोत (जनरेटर सेट) स्थापित कर उससे भवन की अग्निशमन प्रणाली, फायर लिफ्ट , स्टेयरकेशो व कोरीडोर की लाइटों ,स्टैण्ड बाई फायर पम्प, स्मोक एक्सट्रैक्शन को पृथक लाइन (वायरिंग) फायर सेफ डक्ट से सुरक्षित करते हुए जोडा जाना आवश्यक होगा।

अतः उपरोक्तानुसार मेसर्स जी0एस0आर0 बिल्डर्स एण्ड डेवलपर्स प्रा0लि0 लखनऊ द्वारा कल्प सिटी परियोजना बिजनौर, लखनऊ पर प्रस्तावित समूह आवासीय भवन प्रोविजनल अनापत्ति प्रमाण पत्र इस शर्त के साथ निर्गत किया जाता है कि आवेदक द्वारा भवन/ इकाई में अग्नि से सुरक्षा सम्बन्धी सभी प्रस्तावित अग्नि सुरक्षा व्यवस्था भवन विनियमावली तथा नेशनल बिल्डिंग कोड ऑफ इण्डिया- 2005 में उल्लेखित मानको के अनुसार कराये जायेगें तथा भवन के निर्माणोंपरान्त भवन का प्रयोग करने से पहले भवन में अग्नि से सुरक्षा व्यवस्थायें मानको के अनुसार भौतिक रूप से स्थापित कर उनका निरीक्षण/ परीक्षण अग्निशमन विभाग से कराकर अन्तिम अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किया जायेगा। अन्यथा निर्गत किया जा रहा भवन निर्माण हेतु प्रोविजनल अनापत्ति प्रमाण पत्र स्वतः ही निरस्त समझा जायेगा।

<u>संलग्नकः अनुमोदित मानचित्र।</u>

11.06.2016

(ए0बी0पाण्डेय)
मुख्य अग्निशमन अधिकारी
लखनऊ।

प्रतिलिपि:- अग्निशमन अधिकारी, सरोजनीनगर लखनऊ को आवश्यक कार्यवाही हेतु।